प्रेषक,

मिशन निदेशक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलीय अपर निदेशक**, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका**, जिला पुरुष/महिला एवं संयुक्त चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः– एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/एम0 एण्ड ई0/2016–17/23/1051-2 दिनांकः 16-05-16

विषयः– प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में नवीन भवन सभागार, आवास–विकास परिषद, लखनऊ में दिनांक 04 मई 2016 को आहूत की गई समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला पुरुष/महिला एवं संयुक्त चिकित्सालय की समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त के सम्बंध में।

महोदय/महोदया,

प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में नवीन भवन सभागार, आवास–विकास परिषद, लखनऊ में दिनांक 04 मई 2016 को समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला पुरुष/महिला एवं संयुक्त चिकित्सालय की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वाथ्य मिशन, अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वाथ्य मिशन, महानिदेशक–चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें, महानिदेशक–परिवार कल्याण, अधिशासी निदेशक, टी0एस0यू0, वरिष्ठ सलाहकार, राष्ट्रीय स्वाथ्य मिशन, महानिदेशालय, एस0पी0एम0यू0, सिफ्सा, टी0एस0यू0 के अधिकारियों एवं प्रदेश के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला पुरुष/महिला एवं संयुक्त चिकित्सालय द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक का अनुमोदित कार्यवृत्त पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

कृपया बैठक में लिये गये निर्णयों एवं निर्देशों पर कार्यवाही करते हुए 10 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण एवं अनुपालन आख्या संकलित कर प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं महानिदेशक, परिवार कल्याण तथा मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः अनुमोदित कार्यवृत्त।

भवदीय,

(डा0 बी0एस0 अरोड़ा)
वरिष्ठ सलाहकार

पत्रांकः– एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/एम0 एण्ड ई0/2016–17/23/ तद्दिनांकः

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
4. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
5. परियोजना निदेशक, यू0पी0एच0एस0एस0पी0, लखनऊ।
6. अधिशासी निदेशक, यू0पी0टी0एस0यू0, लखनऊ।
7. अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
8. अपर अधिशासी निदेशक, सिफ्सा, लखनऊ।
9. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, वित्त नियन्त्रक एवं अधिशासी अभियन्ता राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12. समस्त मण्डलीय/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

(डा0 ए0बी0 सिंह)
महाप्रबंधक (एम0 एण्ड ई0)

प्रेषक,

मिशन निदेशक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. **समस्त मण्डलीय अपर निदेशक**, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका**, जिला पुरुष/महिला एवं संयुक्त चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः– एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/एम0 एण्ड ई0/2016–17/23/ दिनांकः 16-05-16

विषयः– प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में नवीन भवन सभागार, आवास–विकास परिषद, लखनऊ में दिनांक 04 मई 2016 को आहूत की गई समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला पुरुष/महिला एवं संयुक्त चिकित्सालय की समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त के सम्बंध में।

महोदय/महोदया,

प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में नवीन भवन सभागार, आवास–विकास परिषद, लखनऊ में दिनांक 04 मई 2016 को समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला पुरुष/महिला एवं संयुक्त चिकित्सालय की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वाथ्य मिशन, अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वाथ्य मिशन, महानिदेशक–चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें, महानिदेशक–परिवार कल्याण, अधिशासी निदेशक, टी0एस0यू0, वरिष्ठ सलाहकार, राष्ट्रीय स्वाथ्य मिशन, महानिदेशालय, एस0पी0एम0यू0, सिफ्सा, टी0एस0यू0 के अधिकारियों एवं प्रदेश के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला पुरुष/महिला एवं संयुक्त चिकित्सालय द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक का अनुमोदित कार्यवृत्त पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

कृपया बैठक में लिये गये निर्णयों एवं निर्देशों पर कार्यवाही करते हुए 10 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण एवं अनुपालन आख्या संकलित कर प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं महानिदेशक, परिवार कल्याण तथा मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः अनुमोदित कार्यवृत्त।

भवदीय,

(डा0 बी0एस0 अरोड़ा)
वरिष्ठ सलाहकार

पत्रांकः– एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/एम0 एण्ड ई0/2016–17/23/1051-2-12 तद्दिनांकः

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
4. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
5. परियोजना निदेशक, यू0पी0एच0एस0एस0पी0, लखनऊ।
6. अधिशासी निदेशक, यू0पी0टी0एस0यू0, लखनऊ।
7. अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
8. अपर अधिशासी निदेशक, सिफ्सा, लखनऊ।
9. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, वित्त नियन्त्रक एवं अधिशासी अभियन्ता राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12. समस्त मण्डलीय/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

(डा0 ए0बी0 सिंह)
महाप्रबंधक (एम0 एण्ड ई0)

जिला स्तरीय चिकित्सालयों के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिकाओं की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक दिनॉक 04 मई 2016 का कार्यवृत्त

दिनांक 04.05.2016 को प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में प्रदेश के समस्त जनपदों में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत संचालित गतिविधियों की समीक्षा बैठक का आयोजन आवास–विकास परिषद, लखनऊ के नवीन सभागार में किया गया। बैठक में राज्य स्तर से मिशन निदेशक/अपर मिशन निदेशक, एन.एच0एम0, महानिदेशक–चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें, महानिदेशक– परिवार कल्याण, अधिशासी निदेशक–टी0एस0यू0 उ0प्र0, डा0 बी0एस0अरोड़ा, वरिष्ठ सलाहकार–राष्ट्रीय स्वाथ्य मिशन, डा0 विजय लक्ष्मी, सलाहकार–राष्ट्रीय स्वाथ्य मिशन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, एन0एच0एम0, सिफ्सा एवं यू0पी0एच0एस0एस0पी0 के अधिकारियों के साथ–साथ प्रदेश के समस्त जिला स्तरीय चिकित्सालयों के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिकाओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक का कार्यवृत्त निम्नवत है–

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा बैठक का प्रारम्भ किया गया।

चर्चा के बिन्दु एवं दिये गये निर्देश –

1. मिशन निदेशक द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, मिर्जापुर को निर्देशित किया गया कि व्यक्तिगत रुप से चिकित्सालय का निरीक्षण करते हुये देखे कि मरीजों को दवायें बाहर से न लिखी जाये एवं जनता से निःशुल्क सेवाओं हेतु कोई शुल्क न लिया जाये। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि पैथालाजिकल इन्वेस्टिगेशन हेतु अनुबंधित एजेंसी से मानकानुसार कार्य लेते हुए भुगतान समय पर करना सुनिश्चित करें। **(कार्यवाही–मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, मिर्जापुर)**
2. मिशन निदेशक, एन0एच0एम0,उ0प्र0 द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उन्नाव को निर्देशित किया गया कि चिकित्सालय में कुछ चिकित्सकों द्वारा प्रतिदिन मानक से अधिक संख्या में जांचे करवायी जा रही है। व्यक्तिगत रुप से समीक्षा कर मिशन निदेशक कार्यालय को रिर्पोट प्रेषित करें।
(कार्यवाही–मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, उन्नाव)
3. मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उ0प्र0 द्वारा समस्त जिला स्तरीय चिकित्सालयों (पुरूष/संयुक्त) को निर्देशित किया गया कि अपने–अपने चिकित्सालय में सी0टी0 स्कैन मशीन की स्थापना हेतु स्थान की उपलब्धता की सूचना राज्य स्तर पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। साथ ही चिकित्सालय में रिक्त पदों हेतु मानव संसाधन का मांगपत्र चिकित्सा उपचार के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
(कार्यवाही–समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला स्तरीय चिकित्सालय)
4. प्रमुख सचिव द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य को निर्देशित किया गया कि समीक्षा बैठक में अनुपस्थित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिकाओं को कारण बताओ नोटिस जारी किये जाये। साथ ही निर्देशित किया गया कि भविष्य में आयोजित होने वाली समीक्षा बैठकों में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका स्वयं उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
(कार्यवाही–महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य)
5. प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि चिकित्सालयों में मैकेनाइज्ड सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि चिकित्सालय में किसी भी कर्मी द्वारा हाथ वाला पोछा प्रयुक्त न किया जाये।
(कार्यवाही–समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला स्तरीय चिकित्सालय)

6. प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि यदि चिकित्सालयों में अनुबंधित ठेकेदार द्वारा काम नहीं किया जा रहा है वहां पर तुरन्त ठेकेदार को हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(कार्यवाही—समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला स्तरीय चिकित्सालय)

7. प्रमुख सचिव द्वारा समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिकाओं को निर्देशित किया गया कि मरीजों से किसी भी दशा में दवायें बाहर से क्रय न करायी जायें।

(कार्यवाही—समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला स्तरीय चिकित्सालय)

8. मिशन निदेशक द्वारा समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिकाओं को निर्देशित किया गया कि रोगी कल्याण समिति पर जारी नवीन दिशानिर्देश का अध्ययन स्वयं करना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि शासकीय नियमानुसार रोगी कल्याण समिति स्तर से आवश्यक कार्यो हेतु एजेंसी के साथ अनुबंध करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही—समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला स्तरीय चिकित्सालय)

9. मिशन निदेशक द्वारा टेली रेडियोलॉजी के बारे में विस्तार से समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिकाओं को अवगत कराया गया। समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिकायें अपने अपने चिकित्सालयों में तैनात रेडियोलॉजिस्ट एवं एक्सरे टेक्निशियन की सूचना राज्य स्तर पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही—समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला स्तरीय चिकित्सालय)

10. प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि चिकित्सालय में मरीजों हेतु बैठने एवं पेयजल की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करें कि पानी के टैंकों की समय—समय पर सफाई की जाये तथा जगह—जगह पर पानी जमा न हो।

(कार्यवाही—समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला स्तरीय चिकित्सालय)

11. प्रमुख सचिव द्वारा ओ0पी0डी0/आई0पी0डी0 की समीक्षा के दौरान निर्देशित किया गया कि वाह्य रोगी कक्ष में टोकन सिस्टम लागू किया जाये एवं मरीजों व तीमारदारों हेतु बैठने, पंखे इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

(कार्यवाही—समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला स्तरीय चिकित्सालय)

12. प्रमुख सचिव द्वारा समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिकाओं को निर्देशित किया गया कि ऐसी औषधियों जिनकी आर0सी0 जुलाई 2016 में समाप्त हो रही है, उन औषधियों का ऑर्डर अविलम्ब देना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही—समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला स्तरीय चिकित्सालय)

13. प्रमुख सचिव द्वारा वित्त नियत्रंक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को निर्देशित किया गया कि वर्ष 2015—16 के प्रथम त्रैमास की अपेक्षा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016—17 के प्रथम त्रैमास में गतवर्ष की अपेक्षा जिन जनपदों में धनराशि कम भेजी है, का कारण सहित सूचना से शासन को अवगत कराना सुनिश्चित करें। **(कार्यवाही—वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)**

14. प्रमुख सचिव द्वारा जिला पुरुष चिकित्सालयों की ओ0पी0डी0 की समीक्षा के दौरान निर्देशित किया गया कि जिन चिकित्सालयों (जिला पुरुष चिकित्सालय, वाराणसी, महोबा, एस0एस0एम0जे0 चिकित्सालय, खुर्जा—बुलन्दशहर, बांदा, प्रतापगढ़, देवरिया, शाहजहांपुर, बलरामपुर, रामपुर एवं संयुक्त चिकित्सालय, संजयनगर—गाजियाबाद) में गतवर्ष की अपेक्षा ओ0पी0डी0 के मरीजों में आई गिरावट के कारणों की समीक्षा संबंधित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका सुनिश्चित करें। साथ

ही यह भी निर्देशित किया गया कि ओ0पी0डी0 में चिकित्सकों की समय पर उपस्थिति का निरीक्षण कर ओ0पी0डी0 में वृद्धि सुनिश्चित की जाये।

(कार्यवाही–संबंधित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला स्तरीय चिकित्सालय)

15. प्रमुख सचिव द्वारा जिला महिला चिकित्सालयों की ओ0पी0डी0 की समीक्षा के दौरान निर्देशित किया गया कि जिला महिला चिकित्सालय–बदांयु, मुरादाबाद, सुल्तानपुर, शाहजहांपुर, हरदोई, रामपुर, गोरखपुर एवं वीरागना झलकारी बाई महिला चिकित्सालय की मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका गतवर्ष की अपेक्षा इस वर्ष ओ0पी0डी0 की संख्या में आई गिरावट की समीक्षा स्वयं करें। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि ओ0पी0डी0 में चिकित्सकों की समय पर उपस्थिति का निरीक्षण कर ओ0पी0डी0 में वृद्धि सुनिश्चित की जाये।

(कार्यवाही–संबंधित मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला स्तरीय चिकित्सालय)

16. प्रमुख सचिव द्वारा जिला पुरुष/संयुक्त चिकित्सालयों की आई0पी0डी0 की समीक्षा के दौरान निर्देशित किया गया कि जिला संयुक्त चिकित्सालय– एस0एस0एम0जे0 चिकित्सालय खुर्जा–बुलंदशहर, आर0एल0बी0 लखनऊ, चकिया–चंदौली, मथुरा, संजयनगर–गाजियाबाद, सिद्वार्थनगर, गौतम बुद्वनगर, कानपुरनगर, बांदा एवं पीलीभीत में आई0पी0डी0 की संख्या में गिरावट के कारणों की समीक्षा संबंधित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा स्वयं की जाये। साथ ही आई0पी0डी0 में वृद्धि करने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही–संबंधित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला स्तरीय चिकित्सालय)

17. प्रमुख सचिव द्वारा जिला चिकित्सालयों की बेड आक्यूपेन्सी की समीक्षा के दौरान महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य को निर्देशित किया गया कि बेड आक्यूपेन्सी की गणना हेतु दिशा–निर्देश एक बार पुनः जारी कराया जाये। **(कार्यवाही–महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य)**

18. प्रमुख सचिव द्वारा जिला महिला चिकित्सालयों की सर्जरी की समीक्षा के दौरान निर्देशित किया गया कि जिन चिकित्सकों द्वारा सर्जरी नहीं की जा रही या दिशा–निर्देशों के अनुरुप कार्य नही किया जा रहा है, को कारण बताओ नोटिस मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका जारी कर चार्जशीट तैयार कर शासन को प्रेषित करें।

(कार्यवाही–समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला स्तरीय चिकित्सालय)

19. प्रमुख सचिव द्वारा समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों/अधीक्षिकाओं को निर्देशित किया गया कि वह अपने चिकित्सालय के ऐसे विशेषज्ञ चिकित्सकों को चिन्हित करें जो सर्जरी/एनेस्थीसिया देने में कुशल नहीं हैं या उनके द्वारा विशेषज्ञ कार्य नही किया जा रहा है। ऐसे विशेषज्ञ चिकित्सकों को नजदीकी चिकित्सालय में विशेषज्ञ चिकित्सक के साथ सम्बद्ध कर उनकी कार्यकुशलता बढ़ायी जाये। साथ ही शासकीय व्यय पर डिप्लोमा या विशिष्ट कोर्स किये हुए विशेषज्ञ चिकित्सक, जो अपेक्षित सेवाएं प्रदान नहीं कर पर रहें हैं, को कारण बताओं नोटिस जारी करते हुए कोर्स पर हुए व्यय की रिकवरी किये जाने के संबंध में शासन को अवगत करायें।

(कार्यवाही–समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला स्तरीय चिकित्सालय)

20. प्रमुख सचिव द्वारा जनपद देवरिया के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि डा0 एस0 राम, नेत्र शल्यक द्वारा नेत्र के ऑपरेशन न करने पर स्पष्टीकरण प्राप्त कर शासन को अवगत कराना सुनिश्चित करें। **(कार्यवाही–मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, देवरिया)**

21. प्रमुख सचिव द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय,झांसी को चिकित्सालय में समुचित गॉयनोकालोजिस्ट/सर्जन होते हुये भी अपेक्षित सर्जरी न होने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते

हुए संबंधित विशेषज्ञों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर शासन को अवगत कराने हेतु निर्देशित किया।

(कार्यवाही–मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय)

22. प्रमुख सचिव द्वारा वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को निर्देशित किया गया कि जनपद औरैया में 100 बेड चिकित्सालय को डी0डी0ओ0 कोड अविलम्ब उपलब्ध कराने की कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही–वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

23. प्रदेश के 50 चिकित्सालयों में यू0पी0एच0एस0एस0पी0 द्वारा एन0ए0बी0एच0 के तंहत जिला स्तरीय चिकित्सालयों के सुदृढीकरण की कार्यवाही की जा रही है। प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि चयनित जनपद स्तरीय चिकित्सालयों में प्रदान की जा रही सेवाओं का अधिक से अधिक लाभ जनसमुदाय को पहुंचाया जाना सुनिश्चित किया जाये। साथ ही साथ एन0ए0बी0एच0 टीम को अपेक्षित सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित किया जाये।

(कार्यवाही–संबंधित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला स्तरीय चिकित्सालय)

24. मिशन निदेशक द्वारा एन0ए0बी0एच हेतु चयनित चिकित्सालयों में पैथॉलाजी सेवाएं प्रदान करने वाली एजेन्सी का भुगतान ससमय किये जाने के निर्देश दिये गये। मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों को निर्देशित किया गया कि चिकित्सालय में चिकित्सकों द्वारा रोगियों की कराई जा रही जॉचों का परीक्षण समय समय पर करें एवं रोगी के हित में कराई जा रही जॉचों की आवश्यकता एवं उपयोगिता सुनिश्चित करायें।

(कार्यवाही–संबंधित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला स्तरीय चिकित्सालय)

25. मिशन निदेशक द्वारा समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिकाओं को निर्देशित किया गया कि कायाकल्प एवं नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेशन हेतु चयनित चिकित्सालयों की सेल्फ एसेसमेंट रिपोर्ट की साफ्ट कॉपी निर्धारित प्रपत्र पर 31 मई 2016 तक पूर्ण कर राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–संबंधित समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला स्तरीय चिकित्सालय)

26. प्रमुख सचिव द्वारा उपमहाप्रबन्धक, क्वालिटी एश्योरेंस को निर्देशित किया कि प्रदेश के समस्त चिकित्सालयों के उपकरणों की मैपिंग (कियाशील, मरम्मत योग्य, निष्प्रयोज्य) प्रोक्योरमेंट अनुभाग से प्राप्त कर समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–उपमहाप्रबंधक, क्वालिटी एश्योरेंस)

27. मिशन निदेशक द्वारा एन0ए0बी0एच0 एवं क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम के अन्तर्गत आच्छादित किये गये चिकित्सालयों के मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों/अधीक्षिकाओं को निर्धारित प्रारूप पर दोनो कार्यक्रमों की पृथक–पृथक रिपोर्ट महानिदेशालय एवं क्वालिटी एश्योरेंस सेल में प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही–समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला स्तरीय चिकित्सालय)

28. प्रमुख सचिव द्वारा समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों/अधीक्षिकाओं को निर्देशित किया गया कि चिकित्सालयों में एटामिक एनर्जी रेडियेशन बोर्ड, ब्लड बैंक आदि हेतु लाईसेंसिग कार्यवाही पूर्ण की जाये। जनपद के फायर अधिकारी से मिलकर चिकित्सालय में फायर सेफटी का आडिट कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला स्तरीय चिकित्सालय)

29. प्रमुख सचिव द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य को निर्देशित किया गया कि विभाग में मण्डल/जनपद स्तर पर तैनात समस्त जे0ई0 जनपद की समस्त चिकित्सा इकाईयों हेतु निर्माण से संबंधित कार्यवाही करने हेतु एक पत्र प्रेषित किया जाये।

(कार्यवाही–समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला स्तरीय चिकित्सालय)

30. मिशन निदेशक द्वारा समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों/अधीक्षिकाओं को निर्देशित किया गया कि वित्तीय वर्ष 2016–17 में चिकित्सालय में समस्त व्यय पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से करना सुनिश्चित करें। प्रत्येक प्रसूता लाभार्थी का एम0सी0टी0एस0 नम्बर एम0सी0टी0एस0 पोर्टल से जारी कर पी0एफ0एम0एस0 से भुगतान करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला स्तरीय चिकित्सालय)

31. प्रमुख सचिव द्वारा समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों/अधीक्षिकाओं को निर्देशित किया गया कि जनपदों के चिकित्सालयो में तैनात संविदा कर्मियों की संविदा वित्तीय वर्ष 2016–17 में भी परफारमेंस अपरेजल के आधार पर नियमित रखी जाये एवं उनके वेतन का नियमित रुप से ससमय भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

(कार्यवाही–समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला स्तरीय चिकित्सालय)

32. प्रमुख सचिव द्वारा समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों/अधीक्षिकाओं को निर्देशित किया गया कि जिन चिकित्सालयों में नियमित कर्मियों के पद रिक्त है, वे महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को पदों को भरने हेतु प्रस्ताव भेजना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला स्तरीय चिकित्सालय)

33. प्रमुख सचिव द्वारा समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों/अधीक्षिकाओं को निर्देशित किया गया कि चिकित्सालय में बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेण्ट की व्यवस्था, लान्ड्री की व्यवस्था एवं क्लीनिंग व गार्डनिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करायें।

(कार्यवाही–समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला स्तरीय चिकित्सालय)

34. प्रमुख सचिव द्वारा 25 उच्च प्राथमिकता वाले जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों/अधीक्षिकाओं को जिला स्तरीय चिकित्सालयों में रोगी सहायता केन्द्र को एक मैनेजर एवं चार कम्प्यूटर ऑपरेटरों के सहयोग से कियाशील करने के निर्देश दिये गये। साथ ही रोगी सहायता केन्द्र हेतु समुचित स्थान, फर्नीचर, कम्प्यूटर, एप्रैन इत्यादि वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करायें। चिकित्सालय में तैनात समस्त संविदा कर्मियों को ससमय मानदेय का भुगतान सुनिश्चित किया जाये। रोगी सहायता केन्द्र पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण अविलम्ब उसी दिन कर लिया जाये। रोगी सहायता केन्द्र पर तैनात कर्मियों से राज्य स्तर से प्रेषित दिशा निर्देशों के कम में कार्य लिया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(कार्यवाही–समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला स्तरीय चिकित्सालय)

35. अपर मिशन निदेशक द्वारा समस्त जिला महिला चिकित्सालय/संयुक्त चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षिकाओं/अधीक्षकों को निर्देशित किया कि जननी सुरक्षा योजना में भौतिक एवं वित्तीय रिपोर्ट में लाभार्थियों की संख्या समान होनी चाहिए। प्रत्येक लाभार्थी का भुगतान समय पर करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला स्तरीय चिकित्सालय)

36. अपर मिशन निदेशक द्वारा एस0आर0एन भदोही जिला संयुक्त चिकित्सालय में गायनोकोलाजिस्ट डा0 सुषमा द्वारा एक भी सी–सेक्शन न करने पर स्पष्टीकरण लेने के निर्देश निदेशक–मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को दिये। **(कार्यवाही–मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला चिकित्सालय, भदोही)**

37. अपर मिशन निदेशक द्वारा समस्त जिला महिला चिकित्सालय/संयुक्त चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षिकाओं/अधीक्षकों को एक सप्ताह में पी0पी0आई0यू0सी0डी0 प्रशिक्षित स्टाफ नर्स से

पी0पी0आई0यू0सी0डी0 लगाने का कार्य लिये जाने के निर्देश दिये। इसी तरह एस0बी0ए0 प्रशिक्षित स्टाफ नर्स को प्रसव कक्ष में तैनात करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही–समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय)

38. मिशन निदेशक द्वारा प्रत्येक चिकित्सालय में आई0ई0सी0 गतिविधियों हेतु एक नोडल अधिकारी/कर्मी बनाने के निर्देश समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला स्तरीय चिकित्सालय को दिये गये। वित्तीय वर्ष 2016–17 में यूनिसेफ के सहयोग से प्रत्येक चिकित्सालय में फैसीलिटी ब्राण्डिंग का कार्य कराया जाना हैं।

(कार्यवाही–समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला स्तरीय चिकित्सालय)

39. प्रमुख सचिव द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला संयुक्त चिकित्सालय सिकंदराबाद, संयुक्त चिकित्सालय दर्शननगर फैजाबाद एवं राम सागर मिश्रा संयुक्त चिकित्सालय, बक्शी का तालाब, लखनऊ को डिपीक्स द्वारा दवा क्रय करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही–संबंधित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला स्तरीय चिकित्सालय)

40. प्रमुख सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त ट्रामा सेण्टर, जनपद के जिला चिकित्सालय पुरूष/संयुक्त चिकित्सालय द्वारा संचालित होंगे। ट्रामा सेण्टर हेतु जिन चिकित्सकों का तबादला आदेश जारी किया गया है, को तत्काल कार्यमुक्त करें। चिकित्सालय में तैनात पैरामेडिकल स्टाफ से ही ट्रामा सेण्टर को कियाशील करायें। कियाशील ट्रामा सेण्टर के फोटो को स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। ट्रामा सेण्टर के कियान्वयन हेतु जो स्टाफ ज्वाईन नही कर रहा है, की सूचना महानिदेशालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–संबंधित मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला स्तरीय चिकित्सालय)

41. अधिशासी निदेशक–टी0एस0यू0 द्वारा UPHMIS पोर्टल का डिमोन्सट्रेशन कर समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों/अधिक्षिकाओं को पोर्टल के माध्यम से रिपोर्टिंग को विस्तार से बताया गया। साथ ही जनपद में नर्स मेण्टर को अपेक्षित सहयोग प्रदान करने के निर्देश भी दिये।

(कार्यवाही–समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला स्तरीय चिकित्सालय)

समीक्षा बैठक के अन्त में प्रमुख सचिव द्वारा समस्त प्रतिभागियों को निर्देशित किया गया कि आज की बैठक में दिये गये निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करायें एवं निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समय–समय पर अपने स्तर से भी समीक्षा करते रहें।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का समापन किया गया।

14.5.16